प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 29.08.2026

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

गैस सिलेण्डर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.2026 को वादी रमाशंकर मौर्या उर्फ रिवई पुत्र स्व0 राजदेव मौर्या, निवासी ग्राम खुशक का पुरवा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना कंधई पर तहरीर दी गई कि सुबह उनकी पत्नी द्वारा रसोई में जाकर देखा गया तो गैस सिलेण्डर गायब था। तलाश करने पर गांव का धर्मेन्द्र पुत्र ननकू, निवासी ग्राम खुशक का पुरवा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ गैस सिलेण्डर कंधे पर ले जाता दिखाई दिया, जो लोगों को देखकर सिलेण्डर छोड़कर भागने लगा। वादी के भतीजे द्वारा मौके पर अभियुक्त को पकड़ लिया गया तथा चोरी किया गया गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर बरामद कर अभियुक्त को थाना लाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 195/2026, धारा 305(क)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद 01 अदद इण्डेन गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर को कब्जा पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र ननकू को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-धर्मेन्द्र पुत्र ननकू, निवासी ग्राम खुशक का पुरवा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद इण्डेन गैस सिलेण्डर मय रेगुलेटर।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

आबकारी अधिनियम के मामले में वांछित 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त संजय यादव को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी किठावर के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 अंकित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान

मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत ई-वारंट, केस नं0 1168/2019, धारा UP Excise Act, 1910 से संबंधित वारंटी अभियुक्त संजय यादव पुत्र जगन्नाथ यादव, निवासी ग्राम बंडाखुटार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-
1-संजय यादव पुत्र जगन्नाथ यादव, निवासी ग्राम बंडाखुटार, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 अंकित यादव, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

शन्ति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने 02 व्यक्तियों को निरुद्ध कर शांति भंग में किया चालान-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 74/351(3)/333 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. मोहम्मद सहबान खान पुत्र मोहम्मद वकील खान, उम्र करीब 25 वर्ष एवं 2. मोहम्मद सोहेल उर्फ मोहम्मद इस्माइल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासीगण ग्राम मधुपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण को लेकर क्षेत्र में तनाव एवं उग्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा किसी अप्रिय घटना की आशंका है। सूचना पर उ0नि0 राजकुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को समझाने-बुझाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक समझाइश दिए जाने के बावजूद स्थिति उग्र होने की आशंका को देखते हुए दोनों व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया।

पुलिस द्वारा मौके पर ही दोनों को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। दोनों व्यक्तियों का नियमानुसार धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-
1-मोहम्मद सहबान खान पुत्र मोहम्मद वकील खान, उम्र करीब 25 वर्ष।
2-मोहम्मद सोहेल उर्फ मोहम्मद इस्माइल, उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण ग्राम मधुपुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजकुमार मिश्रा मय हमराह पुलिस बल, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राकेश गौंड को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह रि0का0 प्रिंस देवानन्द द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2)(F/M) बीएनएस एवं धारा 5(J)(II), 5(L), 5(N)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त राकेश गौंड पुत्र रामनाथ गौंड, निवासी ग्राम दखिनहन का पुरवा (नौबस्ता), थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष को डभियार तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
7- राकेश गौंड पुत्र रामनाथ गौंड, निवासी ग्राम दखिनहन का पुरवा (नौबस्ता), थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह रि0का0 प्रिंस देवानन्द, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा नाबालिग से संबंधित दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त प्रदीप वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कंधई के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह का0 कपिल चौधरी, का0 रामजी व रि0का0 राहुल पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, शांति व्यवस्था एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 5(L)/6, 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित

01 अभियुक्त प्रदीप वर्मा पुत्र नंदलाल वर्मा, निवासी बीबीपुर बारडीह, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को पूरे देवयानी मोड़ के पास, करैला बाजार-मंगरौरा रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- प्रदीप वर्मा पुत्र नंदलाल वर्मा, निवासी ग्राम बीबीपुर बारडीह, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह का0 कपिल चौधरी, का0 रामजी व रि0का0 राहुल पटेल, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मो0 हसीब अहमद पुत्र स्व0 मो0 युनुस, निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष को उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त मो0 हसीब अहमद के विरुद्ध मु0अ0सं0 72/2023, केस नं0 12254/23, धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट नं0 21, प्रतापगढ़ द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—
थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 अतुल कुमार दुबे, का0 विकास यादव, रि0आ0 अभिषेक प्रजापति एवं वाहन चालक हे0का0 सन्तोष कुमार राय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।